कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ0ग0)

स्वच्छता शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक कोरबा (छत्तीसगढ़)

दुरभाषः 221288, 222672, फैक्स : 07759–221929, पोस्ट बॉक्स नम्बर–12 पिन कोड़– 495677

Webside : www.korbamunicipal.in, Email : mck.helthsection @gmail.com

क्रमांक / 06 / स्व. / 2026 / 226 कोरबा दिनॉक 09/09/2026

रूचि की अभिव्यक्ति

नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0) द्वारा ''गार्बेज कैफे''संचालन हेतु प्रतिष्ठित होटल / स्व. सहायता समूहों से निम्न कार्य हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है।

कार्य का नामः–

1. शहर को स्वच्छ बनाने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से विभिन्न कठिनाईयो को दृष्टिगत रखते हुए शहर को ''प्लास्टिक फ्री'' घोषित किये जाने हेतु आम नागरिकों में जनजागरूकता एवं प्रोत्साहन के लिये ''गार्बेज कैफे'' के संचालन का कार्य।
2. निगम के एसएलआरएम सेंटर में प्लास्टिक जमा करनें वाले व्यक्ति के प्लास्टिक का वजन किया जाकर टोकन जारी किया जावेगा। जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा निर्धारित दर (नास्ता हेतु 20 / – एवं भोजन हेतु 40 / –) के रूप में कर सकेगा।
3. निगम द्वारा स्थल चिन्हांकित कर उपलब्ध कराया जावेगा, जिसमें ''गार्बेज कैफे'' का संचालन करना होगा। भोजनालय का उपयोग टोकनधारक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों हेतु बाजार दर पर कर सकेगा।
4. प्रस्ताव में भाग लेने वाले प्रतिष्ठित होटल संचालक से सुरक्षा राशि के रूप में 2.50 लाख एवं स्व–सहायता समूहों से 1.0 लाख जमा कराया जावेगा।
5. ''गार्बेज कैफे'' के संचालन के लिये प्रतिमाह किराये हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है। प्रस्ताव निगम में प्रस्तुत करनें की अंतिम तिथि 24/09/2026 है। अधिक जानकारी के लिये प्रतिष्ठित होटल संचालक / स्व–सहायता समूह नगर पालिक निगम की वेबसाईड www.korbamunicipal.in, में तथा साकेत भवन के स्वच्छता शाखा में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।

09/09/2026

सहा.स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

E:office-1

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

MUNICIPAL CORPORATION KORBA

GARBAGE

CAFE

KORBA

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)

गार्बेज कैफे - स्वरूप एवं दिशा निर्देश

01. **योजना का परिचय :–**

भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) परियोजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में स्थित प्रत्येक आवासीय संस्थागत व्यवसायिक, औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों से पृथक्कीकृत कचरे का एकत्रीकरण करते हुए इसके उचित निपटान हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना का क्रियान्वयन कोरबा निकाय क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्टों के डोर–टू–डोर एकत्रीकरण एवं निपटान की कार्यवाही एसएलआरएम अवधारणा के अनुरूप सफलतापूर्वक किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्टों में से प्लास्टिक प्रकृति के अपशिष्ट यथा. पॉलिथीन कैरिबेग विभिन्न प्रकार के सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक (चाय के कप, गिलास, प्लेट, झिल्ली एवं अन्य) तथा मल्टी लेयर प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण एवं निपटान में विभिन्न कठिनाईयों को दृष्टिगत करते हुए शासन द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक के विनिर्माण एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निकाय क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने हेतु निरंतर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही निकाय द्वारा, जिला प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से की जा रही है, तथापि कोरबा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां अत्यधिक संख्या में अन्य शहरों एवं राज्यों से नागरिकों का आवागमन होता है, जिसके कारण निकाय क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग शत्प्रतिशत बंद नहीं किया जा सका है। निकाय क्षेत्र के विभिन्न खुले भूखण्डों, सार्वजनिक सीलों तथा वर्षा/निस्तारी

जल के निकासी हेतु निर्मित नालियों में अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक का प्रवाह पाया जाता है, जिससे नालियों का जमाव बाधित होता है, एवं इन स्थलों से एकत्रित प्लास्टिक के प्रबंधन में भी कठिनाई होती है। नगरीय क्षेत्र में डोर–टू–डोर कलेक्शन के माध्यम से एकत्रित अपशिष्ट में भी प्रतिबंधित प्लास्टिक प्रकृति के अत्यधिक अपशिष्ट की प्राप्ति प्रतिदिवस एसएलआरएम केन्द्रों में होती है, जिसके निराकरण हेतु यह योजना निकाय द्वारा प्रारम्भ की जा रही है।

02. **योजना का उद्देश्यः–**

नगरीय स्वच्छता तथा प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किये जाने हेतु व्यापक जनजागरूकता एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निकाय द्वारा अभिनव पहल करते हुए गार्बेज कैफे के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत आम नागरिकों को प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जन जागरूकता प्रसारित करते हुए प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने हेतु जनसहभागिता सुनिश्चित किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

03. **योजना का स्वरूपः–**

निकाय क्षेत्र के खुले भूखण्ड, सार्वजनिक स्थलों तथा वर्षा/निस्तारी जल के निकासी हेतु निर्मित नालियों से प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित करते हुए इसे निर्धारित एसएलआरएम सेंटर में जमा कराये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति/ व्यक्तियों के समूह / संस्था को निकाय द्वारा प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान किया जावेगा, तथा प्रत्ति 500 ग्राम प्लास्टिक संग्रहित कराये जाने पर उन्हें निकाय द्वारा चिन्हित स्थल पर जलपान (न्यूनतम मूल्य रू 20.00) एवं प्रति एक किलोग्राम प्लास्टिक संग्रहित कराये जाने पर भोजन (न्यूनतम मूल्य रू 40.00) की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। इस माध्यम से एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन नियमानुसार पुनर्चक्रीकरण हेतु किया जावेगा।

04. योजना का विस्तार :–

4.1 प्रथम चरण में गार्बेज कैफे के संचालन हेतु नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा चयनित स्थल को चिंन्हित करते हुए गार्बेज कैफे का निर्माण निकाय द्वारा किया जावेगा। निकाय क्षेत्र के खुले भूखण्ड, सार्वजनिक स्थलों एवं नालियों तथा अन्य स्थलों से एकत्रित उपयोग किये हुए प्लास्टिक अपशिष्ट को निगम द्वारा चिन्हित एसएलआरएम सेंटर में जमा कराये जाने हेतु सुविधाओं का निर्माण निकाय द्वारा किया जावेगा।

4.2 योजना के प्रथम चरण में स्थापित गार्बेज कैफे के प्रतिसाद एवं प्रभाव का आकलन करते हुए इसका विस्तार निकाय के सम्पूर्ण क्षेत्र में किया जावेगा।

4.3 योजना का विस्तार निकाय क्षेत्र में किये जाने हेतु निकाय क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटल प्रतिष्ठानों से उनकी रूचि/ सहमति प्राप्त करते हुए की जावेगी, तथा निकाय क्षेत्र के खुले भूखण्डों, सार्वजनिक स्थलों एवं नालियों तथा अन्य स्थलों से एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को निकाय क्षेत्र के समस्त एसएलआरएम केन्द्रों में संग्रहित कराये जा की सुविधा का सृजन निकाय द्वारा किया जावेगा।

05. योजना का क्रियान्वयन :–

5.1 प्रथम चरण में योजना के क्रियान्वयन हेतु निकाय द्वारा चिन्हित स्थल पर गार्बेज कैफे के स्थापना हेतु आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण निकाय द्वारा किया जावेगा।

5.2 गार्बेज कैफे के संचालन हेतु निकाय क्षेत्र से उपयोग किये हुए एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को निकाय द्वारा चिन्हित स्थल पर जमा कराये जाने तथा इसके दस्तावेजीकरण एवं संग्राहक को टोकन उपलब्ध

कराये जाने हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण निकाय द्वारा किया जावेगा।

5.3 प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण स्थल (SLRM CENTER) पर प्लास्टिक संग्राहक द्वारा लाये गये प्लास्टिक के वजन किये जाने, निर्धारित प्रारूप में पंजी संधारित किये जाने तथा टोकन प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक सुविधा निकाय द्वारा निर्मित की जावेगी। निकाय द्वारा संग्रहण स्थल पर सीसी टीवी कैमरा मॉनिटरिंग हेतु स्थापित किया जावेगी। डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण एवं सिटी सेनीटेशन के माध्यम से एकत्रित किये गये प्लास्टिक का उपयोग इस योजना हेतु निषिद्ध रहेगा।

5.4 निकाय द्वारा चिन्हित स्थल में निर्मित गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित/ हतोत्साहित किये जाने हेतु स्थायी/अस्थायी स्वरूप के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था निकाय द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

5.5 निकाय क्षेत्र से एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण एसएलआरएम केन्द्रों में कार्यरत स्वच्छता दीदीयों के माध्यम से ही कराया जावेगी, इस हेतु अतिरिक्त मानव बल का नियोजन निषेध रहेगा।

06. गार्बेज कैफे के संचालन हेतु एजेंसी का चयनः–

6.1 प्रथम चरण में निकाय द्वारा चिन्हित गार्बेज कैफे के संचालन हेतु एजेंसी का चयन निकाय क्षेत्र के प्रतिष्ठित पंजीकृत होटल व्यवसायियो/ स्व सहायता समूहों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए किया जावेगा।

6.2 गार्बेज कैफे के संचालक से सुरक्षा धन (Non Refundable) के रूप में होटल व्यासायियों से रूपये 2.50 लाख एवं स्व सहायता समूहों से

1.0 लाख संग्रहित कराया जावेगा, तथा संचालन–संधारण व्यय रूपये 10.000.00 (रू. दस हजार) मासिक न्यूनतम होगा, जिसके उपर बिड आमंत्रित किया जावेगा।

6.3 गार्बेज कैफे के संचालन हेतु चयनित एजेंसी/स्व सहायता समूह से एक वर्ष हेतु अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। गार्बेज कैफे हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन किये जाने की स्थिति में निकाय एवं संचालक की सहमति से एक–एक वर्ष हेतु अधिकतम 02 बार नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस अवधि के उपरांत गार्बेज कैफे के संचालन हेतु निकाय द्वारा पुनः विचार करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

6.4 गार्बेज कैफे नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास के अन्तर्गत संचालित योजना है, निकाय द्वारा निर्मित गार्बेज कैफे स्थल का सम्पूर्ण स्वामित्व निकाय का रहेगा, इस स्थल का आबंटन/लीज संचालक के नाम से नहीं किया जावेगा, जिसके कारण इस प्रक्रिया में अचल सम्पत्ति अंतरण नियम लागू नहीं होगा।

6.5 गार्बेज कैफे के संचालन हेतु निकाय द्वारा निर्मित स्थायी अधोसंरचना के अतिरिक्त आवश्यक फर्निचर एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था संचालक द्वारा स्वयं के व्यय से की जावेगी।

6.6 गार्बेज कैफे संचालन स्थल पर योजना के हितधारकों के अतिरिक्त खुले रेस्टोरेंट का संचालन नियुक्त एजेंसी द्वारा इस स्थल पर किया जा सकेगा, किन्तु योजना के हितधारकों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

6.7 निकाय द्वारा निर्मित गार्बेज कैफे अधोसंरचना को संचालक द्वारा यथा

स्थिति मेंटेन रखा जावेगा, तथा इस स्थल पर सम्पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखा जायेगा।

6.8 गार्बेज कैफे के संचालन में स्वच्छता या अन्य मानकों दिशा–निर्देशों के पालन में कमी पाये जाने पर गार्बेज संचालक को दण्डित किया जा सकेगा, तथा कार्य से पृथक भी किया जा सकेगा।

6.9. गार्बेज कैफे में निकाय द्वारा स्थापित सीसी टीवी के फुटेज का अवलोकन एवं गार्बेज कैफे के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग परियोजना के प्रभारी द्वारा नियमित रूप से करते हुए इसका दस्तावेजीकरण किया जावेगा। इस दस्तावेज के टिप्पणियों पर विचार करते हुए गार्बेज कैफे के संचालन हेतु समयावधि के नवीनीकरण हेतु विचार की जावेगी।

6.10 गार्बेज कैफे के संचालक द्वारा एसएलआरएम केन्द्रों से जारी किये गये टोकन को सुरक्षित रखते हुए मासिक रूप से नगदीकरण प्रस्ताव निकाय में प्रस्तुत किया जावेगा।

6.11 गार्बेज कैफे संचालक संस्था द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम अन्तर्गत प्रतिबंध का शत्प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6.12 प्रतिदिवस जारी होने वाले टोकन की संख्या सीमित नहीं होगी, एवं टोकन जारी होने के दिनांक से 01 माह तक वैध होगा।

6.13 इस योजना का नाम (गार्बेज कैफे) का उपयोग संचालक अन्य प्रतिष्ठानों में नहीं किया जावेगा।

6.14 गार्बेज कैफे में किसी भी प्रकार की पार्टी एवं अन्य बुकिंग प्रतिबंधित होगी।

6.15 गार्बेज कैफे के माध्यम से विक्रित किये जाने वाले खाद्य सामग्रियों की उच्च गुणवत्ता बनाये रखना संचालक का दायित्व रहेगा।

6.16 गार्बेज कैफे में विक्रय किये जाने वाले खाद्य उत्पादों का प्रचलित बाजार अनुरूप दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

6.17 गार्बेज कैफे में टोकन के माध्यम से नाश्ता/भोजन हेतु न्यूनतम टेबल आरक्षित रखी जावेगी।

6.18 संचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गार्बेज कैफे में टोकन के माध्यम से नाश्ता एवं भोजन हेतु आये हितग्राही के साथ भेदभाव एवं दुर्व्यवहार न हो।

6.19 गार्बेज कैफे में नाश्ता हेतु प्रदत्त प्रति टोकन निर्धारित मूल्य अनुसार हितग्राही प्रदर्शित दर सूची से रूचि अनुसार नाश्ता कर सकेंगे।

6.20 गार्बेज कैफे में भोजन हेतु प्रदत्त प्रति टोकन में प्रदाय किये जाने वाले भोजन का विवरण निम्नानुसार प्रदाय करना अनिवार्य होगा :-

प्रति थाली –02 रोटी, 01 प्लेट चावल, 02 प्रकार की सब्जी, दाल, पापड, अचार, सलाद एवं 01 मीठा अथवा उपरोक्तानुसार समतुल्य भोजन।

07. **अनुश्रवण :-**

गार्बेज कैफे संचालन के सम्बन्ध में हितधारकों, आम नागरिकों से प्राप्त होने वाले शिकायत/सुझाव का परीक्षण एवं अनुश्रवण महापौर, कोरबा द्वारा गठित समिति द्वारा करते हुए इस पर उचित निर्णय लिया जावेगा। किसी भी स्थिति में गार्बेज कैफे का संचालन इस समिति के नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार में रहेगा।